





भारतीय मानक ब्यू **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

601-ए/A, कनैक्टस टॉवर/Konnectus Tower-1, छठी मंजिल/6th Floor, डीएमआरसी बिल्डिंग/DMRC Building, भवभृति मार्ग / Bhavbhuti Marg, नई दिल्ली / New Delhi-110002

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/ओएच/एल-8000507.3 Licence No. CRO/OH/L- 8000507.3

1.भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to

मैसर्स सूर्या रोशनी लिमिटेड, जे-7 से जे-12, औदयोगिक क्षेत्र, मालनप्र, जिला- भिंड, 477 117 (म.प्र.)

M/s Surya Roshni Ltd., J-7 to J-12, Industrial Area, Malanpur, Distt- Bhind, 477 117 (M.P)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है । इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धिति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रद्त/ प्रचालित किए जाएंगे ।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 45001:2018

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है ।

The licence is granted/recertified-subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 01 सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2026 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 01 Sep 2023 to 31 Aug 2026 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2023 के सितम्बर माह के ग्यारहवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहराँकित। Signed, Sealed and dated this Eleventh day of Sep 2023.

> (Dr. R.K Tyagi) Deputy Director General (Central) भारतीय मानक ब्युरो के लिए











लाइसेंस सं. **म.क्षे.का/ओएच/एल-8000507.3** Licence No. **CRO/OH/L-8000507.3**

जारी : मैसर्स, सूर्या रोशनी लिमिटेड, जे-7 से जे-12, औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर, जिला- भिंड, 477 117 (म.प्र.)

Issued to: M/s Surya Roshni Ltd., J-7 to J-12, Industrial Area, Malanpur, Distt- Bhind, 477 117 (M.P)

अनुसूची SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस नवीकृत किया गया है

Products Services/Processes with respect to which the firm has been recertified the licence for Occupational Health & Safety Management Systems Certification:

"Manufacturing & Supply of Lamps (Incandescent, Fluorescent, LED), Luminaires (Indoor and Outdoor), Glass Shell (GLS &FTL), Aluminium caps and Sales & Marketing of Luminaires accessories, HID Lamps, High- mast pole."

(Dr. R.K Tyagi) Deputy Director General (Central) भारतीय मानक ब्यूरो के लिए For BUREAU OF INDIAN STANDARDS





